न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/509

1. पप्पू पुत्र फूला,
2. गिरधारी पुत्र फूला,
3. धर्मपाल पुत्र फूला,
4. विनोद पुत्र फूला,
5. सुभाष पुत्र फूला,
6. सोनपाल पुत्र फूला,
7. प्रभाती देवी पत्नी फूला,

समस्त जाति बलाई, निवासी– शिश्यू, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर, राज0।

– अपीलान्टस्

बनाम

1. गजानन्द पुत्र पूर्णमल, जाति कुम्हार, निवासी वैध की ढाणी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर, राजस्थान।
2. रामस्वरूप पुत्र पूर्णमल, जाति कुम्हार, निवासी वैध की ढाणी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर, राजस्थान।
3. ललित कुमार पुत्र सेडुराम, जाति बलाई, निवासी रानोली, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर, राजस्थान।
4. महेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल, जाति अहीर, निवासी रानोली, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

– रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू–अधिनियम 1956 आदेश विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर राजस्थान प्रकरण संख्या 04/2024 निर्णय दिनांक 16.01.2024 बउनवानी गजानन्द व अन्य बनाम सरकार।

उपस्थित :–

1. श्री एन. के. यादव, वकील अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 बाद तामील अनुपस्थित।
3. श्री हरलाल सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 24.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.01.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 06.02.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3381/2491 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 3440/2491 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 3441/2491 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम शिश्यू, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खसरा नम्बरान का मूल खसरा नम्बर 2491 है। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 29.12.2023 को पटवारी हल्का शिश्यू द्वारा मौके पर जाकर किया गया तथा फर्द मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर को आदेश दिये गये कि सीमाज्ञान दिनांक 29.12.2023 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवायी जावे एवं तहसीलदार दांतारामगढ़ नियमानुसार प्रार्थीगण की आवेदित भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी करवाने तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 16.01.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट पप्पू पुत्र फूला वगै0 ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर दिनांक 16.01.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वाके ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर के तन में स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 3381/2491 खसरा नंबर 3440/2491, खसरा नंबर 3441/2491 स्थित हैं, जिसके एकल खातेदारी रेस्पोडेन्टान /प्रार्थीगण ने अपनी होना जाहिर करते हुये, स्वयं का कब्जा काश्त होने के कथनार्थ दर्ज करते हुये उक्त आराजी पर काबिजकाश्त होने के अभिकथन दर्ज किये गये तथा उक्त खसरा नंबरान के मूल खसरा नंबर 2491 होने के कथन करते हुये, खसरा नंबर 2491 के उत्तरी दिशा में रेल्वे लाईन होने के कथन दर्ज कर, उपरोक्त भूमियों का सीमाज्ञान उपतहसीलदार पलसाना के आदेश कमांक एलआर/2023/3703 दिनांक 27.12.2023 के आधार पर दिनांक 29.12.2023 को सीमाज्ञान करने के कथन दर्ज करते हुये, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.12.2023 के अनुसार नपती करवायी जाकर, पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने के अनुतोष के साथ प्रार्थना पत्र में अपील अधीन आराजी की सीमा विवाद निपटारे हेतु सीमा चिन्ह पत्थरगढी किये जाने के अनुतोष की मांग की गई, दिनांक 03.01.2024 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर, अप्रार्थी तहसीलदार जी महोदय को प्रथम तारीख पेशी पर ही प्रकरण नोटेड करवाते हुये दिनांक 03.01.2024 को ही प्रथम तारीख पेशी पर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09.01.2024 को मुकरर कर ली गई, दिनांक 09.01.2024 को अधीनस्थ न्यायालय कार्यस्थगन होने से आदेश नही लिखवा सके। दिनांक 09.01.2024 से आगामी तारीख पेशी 16.01.2024 को अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी सरसरे तौर पर स्वीकार करते हुये, सीमाज्ञान दिनांक 29.12.2023 के मुताबित पत्थरगढी करने के अवैध आदेश प्रदत्त किये गये तथा पत्थरगढी मौके पर कब्जा संबंधित विवाद होने की स्थिति में रेस्पोडेन्टान द्वारा बिना अनुतोष की मांग के विरूद्ध पुलिस इमदाद प्राप्त करने के अवैध आदेश भी प्रदत्त किये गये। अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्टान ने अपीलार्थीगण की कब्जेकाश्त शुदा आराजी में सीमाचिन्हों की आड में दखलनदांजी करते हुये अतिक्रमण करने की नाकाम कोशिश की गई, जिस पर अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर, यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से पूर्णत अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत दुरूपयोग करते हुये रेस्पोडेन्टान पडौसी खातेदारान को बिना फरीक पक्षकार मुकदमा बनाये प्रार्थना पत्र को विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर स्वीकार करने में अहम कानूनी भूल किये जाने के कारण उक्त अवैध अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत हैं ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतः परवर्स आरबीट्रेरी एण्ड कोन्ट्रेरी टू लॉ तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के विपरीत एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित होने की वहज से निर्णय निरस्तनीय है। अपीलार्थी का प्रथम अपील प्रस्तुत करने का पूर्णत बहुमूल्य कानूनी हक अधिकार होता है जिसके माध्यम से अपीलार्थी जरिये प्रथम अपील सभी तथ्यों एवं विधि के प्रश्नों पर पुनर्विचार करने हेतु माननीय न्यायालय/प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास सभी तथ्यों एवं विधि के प्रश्नों का विवेचन करने का पूर्णत न्यायिक कानूनी हक अधिकार एवं दायित्व होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण को कभी भी पडौसी खातेदार होने के बावजूद ना तो फरीक पक्षकार मुकदमा सरीक दिया गया तथा ना ही अपीलार्थीगण को कोई साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर विधि अनुरूप प्रदत्त नही किया गया तथा ना ही अपीलार्थीगण को सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.12.2023 को कसीद करते समय उनको सुना गया तथा ना ही आराजी के मौके पर जाकर, किसी भी प्रकार की कोई सीमाज्ञान कभी भी नही किया गया। और अन्यथा भी जरिये फर्द मौका सीमाज्ञान केवल मात्र अपीलाधीन आराजी के उत्तरी दिशा में खसरा नंबर 2491 की नपती करने के कथन दर्ज करते हुये, शेष सीमाओ का कोई विवाद नही होने के आधार पर रेस्पोडेन्टान द्वारा शेष सीमाओं का सीमाज्ञान नही करने तथा शेष सीमाओं को छोडकर, विवादग्रस्त सीमा का सीमाज्ञान होने के तथ्य पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने सीमाज्ञान रिपोर्ट अथवा प्रार्थना पत्र पर भी कोई न्यायिक विवेक लगाये बिना ही सरसरी तोर पर रेस्पोडेन्टान को नाजायज लाभ प्रदत्त करने के लिहाज से अधीनस्थ न्यायालय की समस्त प्रक्रियात्मक कार्यवाही का ईल्म अपीलार्थीगण को नही हो सका। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूपेण कानूनी प्रक्रियात्मक कार्यवाही का बेजा दुरूपयोग करते हुये, प्रथम तारीख पेशी पर ही, प्रकरण में बहस समाहत कर, अंतिम आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल करते हुये एवं संपूर्ण विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये सभी प्रभावित पक्षकारान को सुने बिना तथा अपना कोई न्यायिक विवेक लगाये बिना ही अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया वह किसी भी अवस्था में विधि सम्वत आदेश नही हो सकता क्योकि अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया की तोहीन करते हुये प्रभावित पक्षकरान को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना, तथा उनको सुने बिना अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने की वजह से निरस्तनीय हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ ने 2017 आरआरटी पेज 918 के दिशा निर्देशों एवं विधि की मशा के अनुसार प्रत्येक प्रभावित पक्षकार को सुनकर, उसकी व्यक्तिगत तामिल करवाये जाने का कानूनी प्रावधान प्रदत्त किया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त audio alterem partem के विरूद्व होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री निरस्तनीय हैं जैसे judgement binding nature of judgement givin behind back of a person cannot be binding on him being violative of principle of natural jistce जैसे 2018 आरआरटी–601, 619, 2010 आरबीजे–397, 2018 डीएनजे (4) एससी–1423, 2019 (1) डीएनजे रेवेन्यू –2239, एआईआर 1998 राज. –85 (सी), 2020 आरआरटी–124, 2015 सीसीसी सप्ली 95, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का कोई न्यायिक अवलोकन किये बिना ही पत्रावली में मौजूद सम्पूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये अपीलार्थीगण, पड़ौसी खातेदारान के हितों पर अपना कोई विवेक लगाये बिना ही भूमि मुतदाविया के वास्तविक विवाद व वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही कतई परर्वस आरबीट्रेरी एवं कानूनी मंशा के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों से स्पष्ट साबित था कि रेस्पोडेन्टान ने केवल मात्र खसरा नम्बर 2491 के उत्तरी दिशा में विवाद होने के कथन दर्ज किये गये जबकि सीमाज्ञान किये जाने वाले खसरा नंबर की चारों सीमाओं की जरिये सीमाज्ञान नपती किया जाना कानूनी आवश्यकीय होता हैं तथा पत्थरगढी किये जाने वाले खसरा नंबर के सभी पड़ौसी भू अभिलेखित खातेदारान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

को ही फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाते हुये सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी किये जाने का कानूनी प्रावधान हैं। जबकि विधि के प्रावधानों की पालना में धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम में अपनाई जाने वाली सम्पूर्ण न्यायिक कार्यवाही के विपरीत अभिवचन दर्ज किये जाने के कारण रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्रथम दृष्ट्या ही अपूर्ण प्रार्थना पत्र की श्रेणी में समाहित होने के कारण मय हर्जा खर्चा काबिले इखराज था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111 व धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि धारा 111 भू राजस्व अधिनियम की पालना में स्वंय अपने स्तर पर सीमाज्ञान अथवा सीमांकन की कार्यवाही करवाये जाने बाबत अपना निर्णय सादिर करना चाहिये था। धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल मात्र प्रकरण उसी स्थिति में पोषणीय होता है जहाँ उभय पक्षों के मध्य कोई वास्तविक सीमा विवाद न हो। प्रस्तुत प्रकरण में संस्वीकृत रूप से पक्षकारान के मध्य काफी समय से सीमाओं का विवाद लम्बित है जिसकी पुष्टि स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित अभिवचनों से बखूबी साबित है विधि के प्रावधानों की पालना में जहाँ पक्षकारान के मध्य सीमाओं का विवाद हो वहाँ यह कानूनी प्रावधान है कि लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर सीमा विवाद को पहले तय करेगा जिसके आधार पर विद्दमान सर्वे मैप को बनाया जावेगा। सर्वे मैप उपलब्ध नही होने की स्थिति में वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमाज्ञान करवाया जायेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का नहीं होकर धारा 111 भू राजस्व अधिनियम से सम्बंधित था ओर धारा 111 भू राजस्व अधिनियम से सम्बंधित प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित कानूनी हक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से बिना सम्यक रूप से सीमाज्ञान करवाये बिना ही अविधिक रूप से पत्थरगढी करवाने का अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णत विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे सर्वप्रथम उक्त आराजी के सभी पड़ौसी पक्षों की उपस्थिति में वास्तविक सीमा विवाद को तय करवाने की कानूनी कार्यवाही करते अथवा मौके कब्जे अनुसार अपने में निहित क्षेत्राधिकार का सद्उपयोग करते हुये पक्षकारान के मध्य उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उभय पक्षकारान की आपत्तियों के मध्य नजर कब्जे काश्त नजर रखते हुये पत्थरगढी का आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यक्ष तौर पर धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम एवं उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित जाकर प्रथम तारीख पेशी पर ही सआशय पूर्वक प्रकरण को सुनकर, अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से निपटारा किया गया हैं जो कि कतई न्यायोचित नहीं हो सकता। जो कि किसी भी अवस्था में विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर अवैध आदेश पारित किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 128 व 111 भू राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का न तो अवलोकन किया तथा ना ही कोई न्यायिक विवेक लगाकर कोई न्यायिक निर्णय भी सादिर नही किया। धारा 111 व 128 में वर्णित कानूनी प्रावधान निम्न प्रकार हैः 111. Decision of disputes as to boundaries :-

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(1) In case of any dispute concerning any boundaries the land Records officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of existing survey maps and, where this is not possible or such map are not available on the basis of actual possession.

(2) If in the course of any inquiry into a dispute under this section the land recorde officer in unable to satisfy him self as to which party in

the possession or if it is shown the possession has been obtained by wrongful idspossession of the lawful ocupants of inquiry the land record officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall than fix the boundary accordingly.

128. Boundary disuptes :- All dispute concerning boundaries shall be decided by the land record officer in the manner laid down in Section 111.

(Provided that application in Reation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in case where there exists no dispute as to such boundarys but no account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising)

उक्त कानूनी प्रावधानों की पालना में प्रस्तुत प्रकरण के बाबत स्वंय लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर को सीमा रेखा स्थापित करनी चाहिये थी अथवा सीमाज्ञान उभय पक्षों की उपस्थिति में राजस्व नक्शे के अनुसार अथवा मौके कब्जे के अनुसार सीमांकन करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन की रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को विधि के प्रावधानों की पालना में पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधानों में वर्णित समस्त कृत्य को अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर तहसीलदार जी महोदय को अपना दायित्व निर्वहन सौपने का अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। जैसे 2017 आरआरडी–289, 2018 आरआरडी–652, विधि का यह सर्वमान्य सुस्थापित सिद्धान्त है कि सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही एक साथ निष्पादित नही की जा सकती, प्रथमतः सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी किये जाने वाले खसरा नंबरान के सभी पडौसी खातेदारान को साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर हेतु फरीक पक्षकार मुकदमा सरीक करते हुये, उभय पक्षों की उपस्थिति में उनको पूर्णत साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त करते हुये सीमांकन कि कार्यवाही किये जाने का कानूनी प्रावधान है सीमांकन के दौरान आई आपत्ति को स्वंय लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर अपने स्तर पर दोनों पक्षों की आपत्तियों को सुनकर निपटारा करने का कानूनी प्रावधान है। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विधि विरुद्ध तरीके से लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर (अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनाक 29.12.2023 का हुबहु विवादित होने की स्वीकृति के बावजूद भी उस पर कोई न्यायिक विवेक लगाये बिना ही तहसीलदार जी महोदय को कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रत्यक्ष तोर पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने का अवैध अपीलाधीन आदेश एक ही अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से पारित करने में अहम कानूनी भूल की गई है जब प्रकरण यह स्थिति पूर्व से ही स्पष्ट थी कि पक्षकारान के मध्य मौके कब्जे का वास्तविक विवाद है एवं प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के प्रार्थना पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित आराजी के संबंध में नपती एवं पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किये जाने का अनुतोष चाहा गया था, जब सीमाज्ञान रिपोर्ट में उत्तरी दिशा की तरफ ही विवाद दर्शित किया भी गया था तो, उत्तरी दिशा की ओर स्थित खातेदारान को पक्षकार मुकदमा सरीक करते हुये एवं मौके कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त कर तहसीलदार जी महोदय से कब्जे के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर एवं उनकी तरफ से जवाब प्राप्त कर न्यायोचित आदेश सादिर करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णत विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल किये जाने के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अवलोकन मात्र से भी बखुबी साबित है कि प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही अपूर्ण था अपीलाधीन आदेश में स्थित खसरा नम्बरान का तथाकथित सीमाज्ञान किसी भी पडोसी खातेदार की उपस्थिति में नहीं किया गया। तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी किये जाने वाले

खसरा नम्बरान से चिपकते/सटते हुये प्रत्येक पडोसी खातेदार को न तो फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाया गया तथा ना ही सम्पूर्ण पडोसी खातेदारान को किसी भी प्रकार से साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर दौराने सीमाज्ञान अथवा दौराने विचारण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र अधीन खसरा नंबरान के सभी पडौसी खातेदारान काश्तकार को भी न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान फरीकेन मुकदमा बनाया गया तथा ना ही उनकी उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जबकि विधि के प्रावधानों की पालना में सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी किये जाने वाले खसरा नम्बर के चारों ओर चिपकते हुये प्रत्येक खसरा नम्बरान के काश्तकारों की उपस्थिति में उनको पूर्णत साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सम्यक आदेश पारित करने का कानूनी प्रावधान है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधान की तोहीन कर अपने में निहित कानूनी हक अधिकारों का दुरूपयोग कर अपूर्ण एवं आधारहीन प्रार्थना पत्र पर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल किये जाने के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि अचल सम्पत्ति का अधिकार धारा 300 ए. भारतीय संविधान के अन्तर्गत सवैधानिक हक अधिकार होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाये बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी खातेदारी की कृषि भूमि में उसके कानूनी हक अधिकारों से तकनीकी बिन्दू की आड लेकर विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण के कानूनी हक अधिकारों अपीलाधीन आदेश के माध्यम से बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये मनमाने तौर पर अपीलार्थी के राजस्व कानूनी हक अधिकारों को समाप्त करने के कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध अपीलाधीन आदेश पत्रावली में मौजूद सम्पूर्ण दस्तावेजी एव मौखिक साक्ष्यों के विपरीत जाकर एवं विधि में वर्णित प्रावधानों का उपहास करते हुये रेस्पोडेन्टान को नाजायज लाभ प्रदत्त करते हुये एकपक्षीय अवैध अपीलाधीन आदेश सरसरे तौर पर पारित किया गया है वह अपने आप में ही अपीलार्थीगण के हक अधिकारों को सीधे तौर पर करटेल करने का अपीलाधीन आदेश है जो कि अपीलार्थी के राजस्व कानूनी हक अधिकारों का पूर्णत हनन करने के कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कि विभिन्न न्यायिक निर्णियों की संज्ञा में प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। Right to property is a constitutional right under arictale _300 / and cannot be deprived from the property without following due process of law or the procedure established by the law. जैसे 2021 डीएनजे (1) एससी– 227, 299, 2020 आरआरटी–806, 2019 डीएनजे रेवन्यू –04, 2021 डीएनजे एससी –227

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व पत्रावली में मौजूद किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य का न तो न्यायिक विवेचन किया गया तथा ना ही अपने अपीलाधीन निर्णय में किसी भी दस्तावेज का परीक्षण करना तथा अवलोकन करना ही उचित समझा केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन अन्तिम निर्णय में मिन अपीलार्थीगण के राजस्व अथवा साम्पतिक हक अधिकारों पर अपना कोई न्यायिक विवेक नही लगाया तथा ना ही धारा 111, 128 में अपनायी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया के बारे में भी कोई न्यायिक विवेक लगाकर, न्यायोचित आदेश सादिर नही किया। तथा ना ही अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार की कोई फाईडिंग प्रदत्त नहीं की गई अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से यह बखूबी साबित है कि पक्षकारान के अभिवचनों के सम्बंध में भी अपीलाधीन आदेश में कोई एकल फाईडिंग दर्ज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णत विधिक प्रक्रिया का उपहास करते हुये सरसरे तोर पर रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी प्रथम तारीख पेशी पर ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरित निस्तारित करने में अहम कानूनी भूल की जाने की वजह से अपीलाधीन आदेश बैडइनलॉ आर्डर की संज्ञा में समाहित होने की वहज से एवं अपीलार्थीगण के राजस्व कानूनी हक अधिकारों के विपरीत पारित किये जाने की वहज से निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाहीयों का पूर्णतः अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये मनमाने तौर पर पक्षकारान के अभिवचनों एंव पत्रावली में मौजुद समस्त दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्यों का न्यायिक अवलोकन किये बिना ही विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अवैध आदेश सादिर करने में अहम कानूनी भूल किये जाने के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय किये जाने योग्य है। 2017 आरआरटी –806, 2018 (4) डीएनजे एससी–1422, 2016 (1) सीसीसी – 66, 2014 आरआरडी–354, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम मे अपनायी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया तथा उक्त आधारभूत सिद्धान्त पर न्यायिक विवेक लगाये बिना एवं न्यायिक विचार किये बिना ही अपीलार्थीगण एवं अन्य प्रभावित होने वाले प्रत्येक पडौसी पक्षकारान के न्यायिक हितों के विपरीत प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को ही अन्तिम रूप से सत्य मानकर अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह पूर्णत अपने आप में ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत एंव विधि के प्रावधानों की अनदेखी कर एक पक्षीय, सभी पक्षों को बिना सुने अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अपीलाधीन आदेश माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय 2018 डीएनजे (4) एससी–1422 डीबी, में पारित निर्णय में यह न्यायिक व्यवस्था दी जा चुकी है कि :– any order passed in violation principle of natural justice is not sustainable in the eye of law. अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय व्यवस्था के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। this is the principle of natural juistice. notice given to all necessary parties and effected persons is mandatory before passing any order अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक सिद्वान्त की अवहेलना में निर्णय पारित किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है जैसे 1992 आरआरडी 682, 1994 आरआरडी पेज 73, एआईआर 2003 एस सी पेज 1989, 1995 आरआरटी पेज 368, 1996 आरआरडी–16, 451, 2017 आरआरटी पेज 1453, 2011 आरआरटी पेज 139

अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी के अपीलार्थीगण पडौसी खातेदार काश्तकार होने की वजह से पक्षकारान मे कदीमी समय से सीमाओं का विवाद लंबित हैं, इसलिये मुतदाविया आराजीयात में अपीलान्टान के कानूनी हक अधिकार एवं हित निहित है। अपीलार्थीगण भू अभिलेखित काबिज पडौसी खातेदार काश्तकार है अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उसको न तो फरीक पक्षकार मुकदमा बनाया गया तथा ना ही किसी प्रकार को साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का नोटिस अथवा सूचना प्रदत्त नहीं की गई। इसलिये अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से पूर्णत प्रभावित पक्षकार है उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी पूर्णत प्रभावित होने की वजह से वे प्रभावी पक्षकार (agrived person) है। उनको सुने बिना अथवा बिना फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाये किसी प्रकार का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ण रूपेण तोहीन करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश तस्दीक किया गया है जो कि पूर्णतः अवैध होने की वहज से निरस्तनीय है। जैसे Natural Justice :- Opportunity of hearing - Rule of audialteram partem -no one can be condemned unheared a basic principl of natural Justice AIR 1984 SC-75, 1984 RRD 45, 111. 1995 RRD 150, 1986 RRD 469. 1986 SC-180. इसलिये भी अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से पूर्णत प्रभावित ग्रसित पक्षकार होने के कारण ईजाजत प्रस्तुती अपील की आज्ञा प्रदत्त किया जाना कानूनी आवश्कीय है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने अपने अभी हाल में पारित निर्णय में जैसे 2023 (1) सीसीसी–450 एससी, सीपीसी 1908 धारा 96 जाप्ता दीवानी :–Appeal by third party - A person who is effected by a judgement, but is not a party to suit,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

can be prefare an appeal with leave of the court- sine - qua non for filing an appeal by a third party is that he must have been effected by reason of the judgement and decree which is sought to be impugned. इस लिये भी अपीलार्थी को पूर्णत प्रभावी पक्षकार होने की वजह से प्रस्तुती ईजाजत अपील प्रदत्त किया जाना न्यायहित में कानूनी मेन्डेट्री है। जैसे 2018 (4) डीएनजे एससी–1423, 2023 सीसीसी–450, 2017 आरआरटी–150, 2012 आरआरटी–350, 2017 आरआरटी–1453, 2021 डीएनजे एससी–1327 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रजमपसन्स व कन्जकचर्स पर आधारित होने के कारण भी निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर राजस्थान प्रकरण संख्या 04/2024 निर्णय दिनांक 16.01.2024 बउनवानी गजानन्द व अन्य बनाम सरकार को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा पारित किये गये पत्थरगढी के आदेश दिनांक 16.01.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जिसका कोई विधिक आधार नही है। मिन रेस्पोडेन्ट्सगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष एक पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि खसरा नं० 3381/2491 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नं0 3440/2491 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नं0 3441/2491 रकबा 0.12 हैक्टयर ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (राज०) के तन में अवस्थित है जिसके प्रार्थीगण/मिन रेस्पोडेन्ट्सगण खातेदार काश्तकार है तथा कथन किया था कि वो वर्तमान में भूमि पर काबिज है उक्त खसरा नम्बर का मूल खसरा नम्बर 2491 है मूल खसरा नं0 2491 के उत्तर की तरफ स्थित रेलवे लाइन जो राजस्व नक्शे मे अंकित है। रेलवे लाइन को मुतकिल पोइट मानकर उपरोक्त भूमियों का सीमाज्ञान किया गया है। उप तहसीलदार महोदय पलसाना के आदेश कमांक एलआर/2023/3703 दिनांक 27.12.2023 के आधार पर दिनांक 29.12.2023 को सीमाज्ञान किया गया। पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न है। इसलिये फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 29.12.2023 के अनुसार नपती करवाई जाकर पुख्ता नीव सीव कायम किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाकर विधिवत जांच कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2024 को पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया जिसकी मौजूदा अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से भली भांति जानकारी रही है।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा उपरोक्त पत्थरगढी का आदेश दिनांक 16.01.2024 पारित करने के पश्चात उपरोक्त आदेश की पालना व प्रभाव मे दिनांक 25.01.2024 को पत्थरगढी की कार्यवाही मौके पर करने हेतु राजस्व टीम गयी उसका मौजूदा अपीलार्थीगण ने विरोध किया तथा उनके द्वारा यह कहा गया कि हमें कोई सुनवाई का मौका नही दिया गया है। इसलिये हम पत्थरगढी की कार्यवाही आज नही करने देगे आप दिनांक 30.01.2024 को पत्थरगढी की कार्यवाही संपादित करे। तत्पश्चात राजस्व टीम द्वारा दिनांक 25.01.2024 को पत्थरगढी की कार्यवाही नही की गयी व पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक 30.01.2024 को अपीलार्थीगण की मौजूदगी में करने का निर्णय लिया गया। उप तहसीलदार पलसाना द्वारा दिनांक 25.01.2024 को मोजूदा अपीलार्थीगण को पुनः नोटिस जारी किये गये तथा उन्हे विधिवत सूचना दी गयी कि आप दिनांक 30.01.2024 को उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2024 की पालना में पत्थरगढी की जानी है तथा आप पड़ोसी काश्तकार है इसलिये आप मौके पर मौजूद रहे। उपरोक्त नोटिस अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर प्राप्त नही किया गया तथा ना ही तहसीलदार पलसाना द्वारा अपीलार्थीगण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

के घर पर नोटिस चस्पा किये गये। दिनांक 30.01.2024 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2024 की पालना व प्रभाव में हल्का पटवारियों की टीम जिसमें पटवारी हल्का शिश्यु, पटवारी हल्का डुकिया, पटवारी हल्का लढाना भू अभिलेख निरीक्षक राणोली, उप तहसीलदार पलसाना मय पुलिस इमदाद मौके पर पहुंचे तथा विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही पूर्ण की गयी जिसकी जानकारी मौजूदा अपीलार्थीगण को है। इसलिये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी मौजूदा अपील भी प्रभावहीन हो चुकी है जो खारिज किये जाने योग्य है।

मिन रेस्पोडेन्ट्सगण द्वारा जो पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया गया है वो स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 3381/2491, 3440/2491, 3441/2491 की भूमि के लिये पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया था तथा उसी की उन्होने पत्थरगढी करवायी है जिससे मौजूदा अपीलार्थीगण के कही कोई अधिकार प्रभावित नही हो रहे है। इसलिये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी मौजूदा अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा जो माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है उसमें यह अंकित किया गया है कि उन्हे सुनवायी का अवसर नही दिया गया जबकि उनको संपूर्ण प्रकरण की प्रारम्भ से जानकारी है तथा नायब तहसीलदार पलसाना द्वारा भी उन्हे विधिवत नोटिस जारी कर पत्थरगढी के समय उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था लेकिन इसके बावजूद अपीलार्थीगण पत्थरगढी की कार्यवाही के समय मौजूद होने के बावजूद उनके द्वारा कोई नोटिस प्राप्त नही किया गया। इसलिये अब उन्हे यह कथन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है कि उन्हे सुनवायी हेतु कोई अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलार्थीगण ने लिखित बहस मे यह कथन अंकित किये है कि सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही तभी की जा सकती है जब सीमा का कोई विवाद ना हो। रेस्पोडेन्टसगण माननीय न्यायालय से कथन करते है कि जब सीमा का कोई विवाद ही नही हो तो सीमाज्ञान व पत्थरगढी की आवश्यकता ही नही पडती। अपीलार्थीगण जानबूझकर मिन रेस्पोडेन्टसगण की भूमि की सीमाओं को बार बार नष्ट करने का प्रयास कर रहे है तथा जबरन मिन रेस्पोडेन्टसगण की भूमि मे प्रवेश करने का प्रयास करते है इसलिये मिन रेस्पोडेन्टस द्वारा विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही करवायी गयी है जिससे वो कतई प्रभावित नही है। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अपीलार्थीगण ने अपनी अपील मे यह अकित किया है कि रेस्पोडेन्टसगण ने पडोसी खातेदार होने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष उन्हे पक्षकार नही बनाया है। मिन रेस्पोडेन्टस माननीय न्यायालय से कथन करते है कि जो व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही होता है उसे विधिवत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्राप्त किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक न्यायालय धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान नही करता तब तक अपील पोषणीय नही होती है तथा अपीलार्थी अक्षम व्यक्ति होता है तथा अपील इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य होती है। अतः धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के अभाव मे भी मौजूदा अपील संधारणीय योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने लिखित बहस मे यह तथ्य भी अंकित किये है कि सीमाज्ञानव पत्थरगढी की कार्यवाही एकसाथ निष्पादित नही की जा सकती। मोजूदा रेस्पोडेन्टस माननीय न्यायालय से कथन करते है कि मौजूदा प्रकरण मे सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही एकसाथ निष्पादित नही की गयी है। सीमाज्ञान की कार्यवाही दिनांक 29.12.2023 को की गयी है तथा पत्थरगढी की कार्यवाही उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16.01.2024 को पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया है। इसलिये लिखित बहस में अपीलार्थी के कथन पूर्णतया निराधार है इसलिये भी अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा लिखित बहस मे निराधार तथ्य अंकित किये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गये है जिनका मौजूदा प्रकरण के निस्तारण से कोई वास्ता नही है तथा अनावश्यक रूप से लिखित बहस लम्बी पेश करने के आशय से उक्त तथ्यों को अंकित किया गया है जिसका मौजूदा प्रकरण के निस्तारण से कोई वास्ता नही है तथा ना ही अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी न्यायिक दृष्टांत मोजूदा प्रकरण पर चस्पा होती है। इसलिये भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील पूर्णतया निराधार है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि लिखित बहस स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थीगण की मौजूदा अपील खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2024 द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर को आदेश दिये गये कि सीमाज्ञान दिनांक 29.12.2023 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवायी जावे एवं तहसीलदार दांतारामगढ़ नियमानुसार प्रार्थीगण की आवेदित भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी करवाने तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2024 पारित किये गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर के समक्ष हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2024 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 30.01.2024 को मौके पर खसरा नंबर 3381/2491, 3440/2491, 3441/2491 की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2024 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर